न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 17/2026

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

श्री अमृतलाल कुमावत पुत्र श्री नटवरलाल निवासी सुभाष नगर, सिरोही प्रो. मैक्सीकन पिज्जा पार्लर, सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक 14.05.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2026 को श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा मैक्सीकन पिज्जा पार्लर, सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 23.02.2026 को श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा मैक्सीकन पिज्जा पार्लर, सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया, जिसका उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

......पेज नं. 02

जिला कलक्टर, सिरोही

के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सिरोही शहर का निवासी है तथा शहर में नाश्ते की लॉरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अप्रार्थी बहुत ही गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसका इस व्यवसाय के अलावा अन्य कोई आजीविका का कोई साधन नहीं है। अप्रार्थी की ओर से की गई यह पहली गलती है और भविष्य में ऐसी गलती को नहीं दोहराने का अप्रार्थी विश्वास दिलाता है। अतः अप्रार्थी की ओर से नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी की पहली गलती को माफ कर प्रार्थी द्वारा प्रेषित नोटिस को खारिज करना फरमावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की आकस्मिक जांच करने पर पाया गया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कार्य किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। इसके अतिरिक्त मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रतिष्ठान से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया, उस प्रतिष्ठान पर वक्त निरीक्षण नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी की ओर से की गई यह पहली गलती है और भविष्य में ऐसी गलती अप्रार्थी की ओर से नहीं की जाएगी। चूंकि अप्रार्थी स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जिससे स्पष्ट है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

......पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए एक घरेलू गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)